कार्यालय अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय,स्वशासी समिति, भोपाल

क्रमॉक....................../एम.सी./अराज–5/2023 भोपाल, दिनांक......../07/2023

// अनापत्ति प्रमाण –पत्र //

गॉधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल से संबद्ध हमीदिया चिकित्सालय भोपाल में कार्यरत स्टाफ नर्सो से प्राप्त आवेदन, जो कि पत्र कमांक 10370–72/स्था–1/न्यू स्वशासी/ह.चि./2023 भोपाल दिनांक 11.07.2023, पत्र क 10366–69/11.07.2023, पत्र क 10363–65/11.07.2023, व पत्र क. 10420–22/11.07.2023 के माध्यम से संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, हमीदिया चिकित्सालय भोपाल के द्वारा जारी अनुशंसा के आधार पर एवं मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय के आदेश कमांक एफ–एफ–2/57/2018/55–1 दिनांक 30 सितम्बर 2018 के नियम 10(अ) के बिन्दु कमांक 1 से 4 तक के नियमों के अन्तर्गत आपसी सहमती से परस्पर अदला–बदली के आधार पर नवीन नियुक्ति के लिए आवेदन करने हेतु निम्न शर्तों पर नियमानुसार अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी किया जाता है ।

क	कर्मचारी का नाम (जाने वाले)	संवर्ग	पदस्थापना स्थल (जाने वाले)	कर्मचारी का नाम (आने वाले)	संवर्ग	पदस्थापना स्थल (आने वाले)
1	अंजली पटैल	अनारक्षित	हमी0 चिकि0	प्रिया कहार	अनारक्षित	चिकि.महावि. जबलपुर
2	श्रद्धा पटैल	अनारक्षित	हमी0 चिकि0	अलका मौर्या	अनारक्षित	चिकि.महावि. जबलपुर
3	कंचन रजक	अ0पि0व0	हमी0 चिकि0	पूजा सौंधिया	अ0पि0व0	चिकि.महावि. जबलपुर
4	ऋषिका रजक	अनारक्षित	हमी0 चिकि0	अमृता जैन	अनारक्षित	चिकि.महावि. जबलपुर
5	स्प्रेयना चौहान	अनु0ज0जा0	हमी0 चिकि0	सीमा मर्सकोले	अनु0ज0जा0	चिकि.महावि. इंदौर
6	शिखा डावर	अनु0ज0जा0	हमी0 चिकि0	मिथलेश्वरी धुर्वे	अनु0ज0जा0	चिकि.महावि. रतलाम

1. पारस्परिक नियुक्ति के आवेदन समान पद के लिए होना चाहिए, ऐसे आवेदन पत्रों पर संबंधित दोनों आवेदकों के हस्ताक्षर होना चाहिए।
2. पारस्परिक नियुक्ति के प्रकरणों में दोनों आवेदकों को संबंधित महाविद्यालयों में चयन किया जाने की दशा में संबंधित महाविद्यालय ऐसे आवेदकों को नवीन नियुक्ति दे सकेगा ।
3. नवीन नियुक्ति दिये जाने की दशा में पूर्व महाविद्यालय में की गई सेवा का वेतन संज्ञान में लेते हुए चयनितं व्यक्ति का वेतन निर्धारित किया जा सकेगा।
4. उक्तानुसार वरीयता निर्धारण के लिए नवीन नियुक्ति मानी जावेगी और ऐसी नियुक्ति पालन में महाविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वरीयता निर्धारित होगी।
5. उपरोक्त अनापत्ति पत्र दोनों आवेदकों द्वारा अपने नवीन कार्यस्थल पर चयनोपरांत कार्यभार ग्रहण करने की स्थिति में ही पूर्ण प्रभावी मान्य होगी। दोनों आवेदको में से एक भी आवेदक द्वारा अपनी नवीन पदस्थापना पर कार्य भार ग्रहण न करने पर उक्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र स्वयमेव निरस्त माना जायेगा एवं आवेदकों को अपने मूल नियुक्ति स्थल पर पुनः कार्यभार ग्रहण करना होगा।

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय,स्वशासी समिति,भोपाल

पृ. कमांक 28231-47/एम.सी./अराज–5/2023 भोपाल, दिनांक 21/07/2023

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1 अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर/इंदौर/रतलाम।
2 संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, हमीदिया चिकित्सालय भोपाल ।
3 मेट्रन, हमीदिया चिकित्सालय भोपाल ।
4 अंजली पटैल/श्रद्धा पटैल/कंचन रजक/ऋषिका रजक/स्प्रेयना चौहान/शिखा डावर,नर्सिंग ऑफिसर, द्वाराः– संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, हमीदिया चिकित्सालय भोपाल।
5 आदेश नस्ती/व्यंक्तिगत नस्ती।

20/07/2023

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय,स्वशासी समिति,भोपाल

F:\Sec 5\SP letter (Autosaved).docx